E:\Radheshamji\Letter 2016.docx84

राजस्थान–सरकार
निदेशलय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः– प.11(3)(10)/मो./ICDS/99/ 127220 जयपुर, दिनांकः 28-9-16

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 84089 जयपुर दिनांक 27.06.2016 के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन 30सितम्बर 2016 तक प्रातः 8.00 बजे से 12.00 बजे तक निर्धारित किया गया था। उक्त आदेशों को संशोधित करते हुए दिनांक 01.10.2016 से राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों का शीतकालीन समय संचालन (31मार्च 2017 तक) पूर्वानुसार प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 2.00 बजे तक निर्धारित किया जाता हैं। तत्पश्चात गृह सम्पर्क (House hold visit) संबंधी कार्य संपादित किया जाएगा।

साथ ही पूर्व में जारी निर्देशानुसार सहायिका केन्द्र समय से आधा घंटे पूर्व अर्थात् प्रातः 9.30 बजे कार्यकर्ता केन्द्र समय से 15 मिनट पूर्व अर्थात् प्रातः 9.45 बजे एवं आशा–सहयोगिनी निर्धारित समय प्रातः 10.00 बजे केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्र पर गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेंगी।

इसके साथ ही प्रारंम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा हेतु दैनिक समय सारणी भी निम्नानुसार क्रियान्वित की जाएगी।

सत्र संख्या	समय	सत्र
	9.30	सहायिका द्वारा केन्द्र खोलना, साफ–सफाई करना एवं बच्चों को केन्द्र पर लाना।
	9.45	ऑगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा शाला पूर्व शिक्षा की तैयारी करना।
1.	10.00	प्रार्थना सत्र (Prayer)
2.	10.30	व्यायाम व खेल सत्र (P.T.)
3.	11.00	अल्पाहार सत्र (Breakfast)
4.	11.30	भाषायी कौशल सत्र (Linguistic development)
5.	12.00	रचनात्मक सत्र (Creative development)
6.	12.30	बौद्धिक विकास सत्र (Mental development)
7.	1.00	दोपहर भोजन सत्र (Lunch)
8.	1.30	स्वतंत्र खेल (Games)

नियत समय पर मानदेयकर्मी की अनुपस्थिति को गम्भीर अनियमितता माना जाएगा,संबंधित महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं उप निदेशक उपरोक्त की पालना सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होगें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऍ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प.11(3)(10)/मो./ ICDS/99/19721-637 जयपुर, दिनांकः 28.9.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय महिला एवं बाल विकास विभाग राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर्स।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
6. एनलिस्ट–कम–प्रोग्रामर को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारीगण।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (आई.सी.डी.एस.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर